दिशा निर्देश/शर्ते

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए 'ओ'/'सी0सी0सी0' कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना संचालित की जा रही है। कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना संचालित की जा रही है। कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु इच्छुक बेरोजगार युवक/युवती दिये गये लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी प्रविष्टियों को सावधानी से अंकित करें। आवेदकों के कक्षा–12 के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर जनपदवार लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा शेष पात्र आवेदक प्रतीक्षा सूची में रखे जायेंगे। जनपद में चयनित संस्थाओं में से आवेदकों द्वारा ऑनलाइन विकल्प के आधार पर दी गयी वरीयता तथा संस्थावार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को संस्थाओं का आवंटन किया जायेगा।

प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को निम्न शर्ते स्वीकार करना आवश्यक है :–

1. पिछडा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना हेतु आवेदन करने वाले छात्रों को किसी अन्य सरकारी योजना जैसेः– छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आदि का लाभ न मिल रहा हो।

2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत ('ओ' लेवल अथवा 'सी0सी0सी0') चयनित किये गये छात्रों का पंजीकरण तथा संस्था द्वारा दिये जाने वाला प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान नियमानुसार संस्था को किया जायेगा। प्रशिक्षणार्थी को पंजीकरण अथवा प्रशिक्षण शुल्क के रूप में कोई भी धनराशि संस्था को भुगतान नहीं करनी होगी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान "नीलिट" द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा हेतु लिया जाने वाला परीक्षा शुल्क प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वंय नीलिट को ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

3. प्रशिक्षणार्थी यदि बिना किसी समुचित कारण के प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ देता है तो पंजीकरण शुल्क प्रशिक्षणार्थी को वापस करना होगा तथा भविष्य में उक्त योजना हेतु पात्र नहीं होगा।

4. प्रशिक्षणार्थियों की प्रशिक्षण के दौरान 75 प्रतिशत बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी बिना समुचित कारण/सूचना के 15 दिनों या उससे अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में रखे गये छात्र का चयन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अनुपस्थित प्रशिक्षणार्थी कोई दावा पुनः नहीं कर सकेगा।

5. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 'ओ' लेवल/'सी0सी0सी0' कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थी एक बार ही योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। 'सी0सी0सी0' कम्प्यूटर प्रशिक्षण करने के उपरान्त प्रशिक्षणार्थी अगले वित्तीय वर्षो में 'ओ' लेवल कोर्स हेतु योजना का लाभ लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों का पुनः 'ओ' लेवल/'सी0सी0सी0' हेतु चयन नहीं किया जायेगा।

6. शैक्षणिक सत्र 2020–21 में कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के संबंध में समय–समय पर जारी गाइड लाइन तथा निर्देशों के अनुरूप ही संचालित की जायेगी।